

सरकारी योजना, सामाजिक सुरक्षा सब हक हमारा!

A CAMPAIGN FOR SOCIAL SECURITY

जन सूचना पुस्तिका
सरकारी योजनाओं से सम्बंधित जानकारी



परिचय

एक्शनएड एसोसिएशन सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय के लिए काम करने वाला एक संगठन है। एक्शनएड 1972 से भारत में हाशिये की जिंदगी जी रहे समुदायों के साथ काम कर रही है। एक्शनएड एसोसिएशन 24 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में कई भागीदारों और संबद्ध संगठनों के साथ काम करता है। एक्शनएड एसोसिएशन, एक्शनएड इंटरनेशनल का पूर्ण सहयोगी है जिसकी दुनिया भर में 40 से अधिक देशों में उपस्थिति है। पिछले पचास वर्षों में एक्शनएड ने ऐसे हज़ारों लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के साथ जोड़ने का काम किया है जो इन योजनाओं और सेवाओं के लिए योग्य थे और जानकारी के आभाव के कारण वो इनका लाभ नहीं ले पा रहे थे लेकिन वो उस लाभ को पाने के अधिकारी थे।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उपयोग करने में असमर्थता आज भी सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच में लिंग भेद और योजनाओं और सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी के कारण यह और भी बढ़ गया। कोरोना महामारी और इससे सम्बंधित प्रतिबंधों ने भी लोगों की सरकारी योजनाओं तक पहुँच को कम किया है। कई मामलों में देखा गया है कि लोगों को योजनाओं की जानकारी होती है परन्तु उससे सम्बंधित योग्यता, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन के लिए कहाँ पर संपर्क करना है या किस प्रकार से आवेदन जमा करना है इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। एक्शनएड **“सरकारी योजना, सामाजिक सुरक्षा, सब हक हमारा!”** अभियान के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऐसे लोगों से संपर्क करेगी जिनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। संस्था से जुड़े स्थानीय संगठन, वॉलंटियर एवं टीम के सदस्य जन संपर्क द्वारा योग्य लोगों की पहचान कर उन्हें सम्बंधित योजना से जोड़ने में उनकी मदद करने का काम करेंगे।

इस जन सूचना पुस्तिका में कोशिश की गयी है कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में चल रही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सम्बंधित सूचनाओं को संकलित किया जाये। पुस्तिका में योजना का नाम, उस योजना का उद्देश्य, योजना प्राप्त करने के लिए योग्यता, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों एवं आवेदन की प्रक्रिया को विस्तृत एवं आम जनो की भाषा में संकलित करने का प्रयास किया गया है। जिससे एक्शनएड के साथ जमीन पर कार्यरत वॉलंटियर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सामुदायिक संगठन इसका उपयोग एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में कर सके।

“महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं”

राज्य: दिल्ली

दिल्ली लाडली योजना		परिभाषा: दिल्ली लाडली योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 01.01.2008 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य उचित शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा और भेदभाव और अभाव से सुरक्षा के माध्यम से दिल्ली में जन्मी एक बालिका की सामाजिक स्थिति और आत्मनिर्भरता को बढ़ाकर उसे सशक्त बनाना है।	
वित्तीय सहायता	योजना के तहत सावधि जमा के रूप में वित्तीय सहायता ₹ 11,000/- यदि अस्पताल में जन्म हुआ हो या ₹. 10,000/- यदि पंजीकरण के समय घर पर पैदा हुए हैं और 5,000/- प्रत्येक आगे के पांच मील के पत्थर यानी कक्षा पहली, छठी, नौवीं, 11वीं और 12वीं में प्रदान की जाती है।	यहां आवेदन करें	
पात्रता	1. लड़की का जन्म दिल्ली में होना चाहिए जैसा कि रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), एमसीडी / एनडीएमसी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र द्वारा दिखाया गया है। 2. आवेदक को बालिका के जन्म की तारीख से कम से कम तीन साल पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए। 3. वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4. अगर लड़की स्कूल जा रही है, तो उसके स्कूल को दिल्ली सरकार / एमसीडी / एनडीएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 5. योजना का लाभ प्रति परिवार दो जीवित लड़कियों तक सीमित है।	ज़रूरी दस्तावेज़	पंजीकरण से पहले दिल्ली में तीन साल का निवास प्रमाण (राशन कार्ड / वोटर आईडी कार्ड / कोई अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रति)।
		परिवार की वार्षिक आय दर्शाने वाला आय प्रमाण पत्र/शपथ पत्र	
		एमसीडी/एनडीएमसी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी बालिका का जन्म प्रमाण पत्र	
		बालिका के साथ माता-पिता की ग्रुप फोटो।	
		एससी/एसटी/ओबीसी के मामले में जाति प्रमाण पत्र	
		माता-पिता और बच्चे के आधार कार्ड की प्रति, यदि उपलब्ध हो तो	

विधवा की बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता		परिभाषा: योजना का उद्देश्य गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए शादी के खर्च को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।	
वित्तीय सहायता	सहायता की मात्रा ₹. 30,000/- केवल आवेदक के नाम पर या ईसीएस (ECS) के माध्यम से अकाउंट पेयी चेक के रूप में मिलेगी।	यहां आवेदन करें edistrict.delhigovt.nic.in लिंक पर जाये और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें	
पात्रता	- आवेदक को आवेदन की तारीख से कम से कम पांच साल पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए। - बेटी की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। - आवेदक की वार्षिक आय ₹ 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।	ज़रूरी दस्तावेज़	निवास का प्रमाण जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड (जो दिल्ली में 5 साल के निवास को दर्शाता है)
		विवाह आमंत्रण कार्ड या विवाह प्रमाणपत्र	लड़की की आयु सर्टिफिकेट की कॉपी
		पति का मृत्यु प्रमाण पत्र	आय प्रमाण (स्व घोषणा)

वृद्धावस्था पेंशन योजना		परिभाषा: यह योजना निराश्रित, वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनके पास निर्वाह का कोई साधन नहीं है और कोई भी उनके बुढ़ापे में उनका समर्थन करने की स्थिति में नहीं है।	
वित्तीय सहायता	योजना के तहत विभिन्न तरह से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: 1. 2000 रुपये प्रति माह 60-69 उम्र के लिए, अतिरिक्त रु. 500 अपराह्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों के लिए। 2. 2500 रुपये प्रति माह +70 उम्र के लाभार्थियों के लिए	यहां आवेदन करें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा	
पात्रता	1. 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 2. आवेदन की तारीख से पहले दिल्ली में 5 साल तक के स्थायी निवासी 3. सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम हो 4. आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए 5. आवेदक का राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी बैंक में 'एकल संचालित' खाता होना चाहिए 6. इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य सरकारी स्थानीय निकायों या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।	ज़रूरी दस्तावेज़	आधार संख्या अनिवार्य है (इसके बिना आवेदन पोर्टल काम नहीं करेगा।
		निम्नलिखित आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, बैंक खाता संख्या से स्व-सत्यापित दस्तावेज़ प्रमाण।	
		एससी/एसटी/ओबीसी के मामले में जाति प्रमाण पत्र	
		अल्पसंख्यक के मामले में स्व-घोषणा।	
		पासपोर्ट के आकार की तस्वीर	
		पोर्टल पर दिए गए प्रारूप में आय स्व-घोषणा।	

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य बोर्ड कल्याणकारी योजनाएं		
योजना का नाम	पात्रता	वित्तीय सहायता
विकलांगता लाभ	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	कार्य के दौरान यदि कोई अपंगता की घटना होती है तो रु. 3000/- प्रदान किया जाएगा।
मातृत्व लाभ	2 महीने की सदस्यता	महिला लाभार्थी को पहले दो बच्चों के लिए 30,000/- रुपये की सहायता प्रदान की गई। गर्भपात के मामले में 3000/- रुपये दिए जाएंगे।
वृद्धावस्था पेंशन लाभ	3 वर्ष की सदस्यता और इस योजना का लाभ पहले दिन से उस महीने तक देय होगी जिसमें लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी करता है	पेंशन की राशि रु. 300/- (रुपये तीन सौ) केवल प्रति माह। 5 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 300/- रुपये की वृद्धि दी जाएगी।
पारिवारिक पेंशन	आवेदक को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में पेंशनभोगी की पत्नी/पति को 1500/- रुपये या पेंशन राशि का 50% (जो भी अधिक राशि हो) की राशि प्रदान की जाएगी।
अंतिम संस्कार सहायता का भुगतान	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	मृतक सदस्य के नामांकित/आश्रितों को रु.10,000/- (दस हजार रुपये) की राशि।
मृत्यु लाभ का भुगतान	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	दुर्घटना में मृत्यु होने पर मात्र 2 लाख रुपये तथा प्राकृतिक मृत्यु पर 1 लाख रुपये की राशि।
लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	बोर्ड अधिकतम 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत कर सकता है, जिसमें पहले 5 दिनों में 400 रुपये और उसके बाद रु. 200/- प्रतिदिन प्रदान किया जाएगा।

विवाह के लिए वित्तीय सहायता	3 साल की सदस्यता	रुपये 51,000/- लाभार्थी के स्व-विवाह के लिए और केवल 2 बच्चों तक प्रति बच्चे के लिए दिए जाते हैं।
घर खरीदने और बनाने के लिए ऋण	3 साल की सदस्यता	अधिकतम 45 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को घर खरीदने या बनाने के लिए 5 लाख की ऋण राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को अधिकतम 50 वर्ष की आयु के साथ 3 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी।
टूलकिट की खरीद/मरम्मत	1 साल की सदस्यता	सदस्यता के एक वर्ष बाद सदस्य को 20000/- रुपये प्रदान किए जाएंगे। रुपये 5000/- की राशि पांच साल बाद (केवल एक बार) टूलकिट की मरम्मत के लिए दी जाती है।

विकलांगता पेंशन योजना		परिभाषा: विकलांगता पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विकलांगता सहायता वाले व्यक्ति को सशक्त बनाना है।	
वित्तीय सहायता	इस पेंशन योजना के तहत, दिल्ली सरकार शारीरिक रूप से अक्षम के लिए 2500/- प्रति माह रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।	यहां आवेदन करें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.delhigovt.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन नागरिक लॉग इन के माध्यम से या संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करके किया जा सकता है	
पात्रता	1. आवेदन की तारीख से पहले दिल्ली में 5 साल तक के स्थायी निवासी हो। 2. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की विकलांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। 3. सभी स्रोतों से (किराया, बचत पर ब्याज आदि सहित) वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष से कम। 4. आवेदक को सरकारी अस्पताल से अनुमोदित विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। 5. इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य सरकारी स्थानीय निकायों या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।	जरूरी दस्तावेज़	आधार संख्या अनिवार्य है (इसके बिना आवेदन पोर्टल काम नहीं करेगा।)
		आयु प्रमाण पत्र	निवास प्रमाण पत्र
		बैंक खाता विवरण (एकल खाता)	
		सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र	
		आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो	
		पोर्टल पर ही दिए गए प्रारूप में आय स्व-घोषणा	

विधवा पेंशन योजना		परिभाषा: 18 वर्ष की आयु वर्ग की विधवाओं, तलाकशुदा, अलग, परित्यक्त, या निराश्रित महिलाएं जिनके पास निर्वाह के पर्याप्त साधन नहीं हैं और जो गरीब, जरूरतमंद और कमजोर हैं, को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।	
वित्तीय सहायता	लाभार्थी के बैंक खाते में प्रति व्यक्ति रु. 2500/- की सहायता की तिमाही आधार पर आरबीआई (RBI) या पीएफएमएस (PFMS) के ईसीएस (ECS) के ज़रिये की जाएगी।	यहां आवेदन करें edistrict.delhigovt.nic.in लिंक पर जाये और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें	
पात्रता	1. आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 3. वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।	जरूरी दस्तावेज़	पता प्रमाण, आधार कार्ड
		स्व-घोषणा प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया है कि लाभार्थी को कोई अन्य पेंशन नहीं मिलती है	आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ बैंक विवरण, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण

राज्य: हरियाणा

आपकी बेटी हमारी बेटी योजना		परिभाषा: आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य बाल मृत्यु दर और बाल विवाह के मामलों को खत्म करना, बालिका अनुपात में सुधार करना और राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है।	
वित्तीय सहायता	सरकार पहली बालिका के जन्म पर माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में 21000/- रुपये का लाभ देती है।	यहां आवेदन करें आवेदकों को wcdhry.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड किए गए नामांकन फॉर्म भरने होंगे और उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों में जमा करना होगा।	
पात्रता	1. लाभार्थी को हरियाणा राज्य का वास्तविक निवासी होना चाहिए। 2. परिवार EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। 3. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या एसटी/एससी/ओबीसी से संबंधित परिवार भी पात्र हैं। 4. दूसरी और जुड़वां लड़कियों के माता-पिता भी इस योजना के लिए पात्र हैं। 5. लाभार्थी दंपति आय करदाता नहीं होना चाहिए। 6. आवेदक को सरकार या सरकार के अन्य स्थानीय निकायों से कोई वित्तीय सहायता या पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।	ज़रूरी दस्तावेज़	पहचान प्रमाण: पैन कार्ड, आधार, कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि।
		पता प्रमाण: बिजली बिल, आधार, वैध पासपोर्ट, संपत्ति कर बिल आदि।	
		आय प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्र की कॉपी (यदि एससी / एसटी / ओबीसी)	
		परिवार की वित्तीय पृष्ठभूमि जैसे बीपीएल सर्टिफिकेट कॉपी	
		बालिका जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट आकार के फोटो	

विधवा पेंशन योजना		परिभाषा: यह एक राज्य योजना है जिसके तहत निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवाओं को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार पेंशन दी जाती है।	
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत लाभार्थी को 2500-2700/- रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।	यहां आवेदन करें कोई भी विधवा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, वह कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फॉर्म को अपलोड करने के बाद संबंधित बीडीपीओ/एमसी कार्यालय के कार्यालय में जमा कर सकती है।	
पात्रता	योजना के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला पेंशन के लिए पात्र है यदि वह हरियाणा की अधिवास है और आवेदन जमा करने के समय पिछले एक वर्ष से हरियाणा राज्य में रह रही है और सभी स्रोतों से उसकी अपनी आय है रुपये से कम 2,00,000 प्रति वर्ष और आगे तीन शर्तों में से कोई एक पूरी होती है: i.) वह एक विधवा है; या ii.) वह पति, माता-पिता और बेटे के बिना बेसहारा है: or iii.) वह परित्याग या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण बेसहारा है, क) विवाहित महिलाओं के मामले में पति; या बी) अन्य महिलाओं के मामले में माता-पिता	ज़रूरी दस्तावेज़	
		राशन पत्रिका	
		वोटर कार्ड	
		पति का मृत्यु प्रमाण पत्र	
		निराश्रितों का प्रमाण पत्र आधार कार्ड	

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य बोर्ड कल्याणकारी योजनाएं		
योजना का नाम	पात्रता	वित्तीय सहायता
चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता	1 साल की सक्रिय सदस्यता	पंजीकृत कर्मचारी की दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में सरकारी अस्पताल और सरकारी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में इलाज के लिए राज्य में चार दिन से 30 दिन तक प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर श्रमिक को मजदूरी मुआवजा/वित्तीय सहायता दी जाती है।
विधवा पेंशन	विधवा महिला इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से BOCW के सदस्य होनी चाहिए	पंजीकृत मजदूर की विधवा को 3,000/- रुपये प्रति माह विधवा पेंशन के रूप में दिया जाता है।
मातृत्व लाभ	1 साल की सक्रिय सदस्यता	मातृत्व के लिए आर्थिक सहायता रु. 30,000/- बच्चे के जन्म के बाद और पौष्टिक आहार रु. 6000/- देय होगा। केवल 2 बच्चों को ही सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना	1 साल पुरानी सदस्यता (यह योजना सदस्यता नवीनीकरण के समय लागू होगी)	पंजीकृत महिला कामगारों के लिए शुरू की गई योजना के तहत उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय हर साल बोर्ड द्वारा साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छतरियां, रबड़ के गद्दे, रसोई के बर्तन और स्वस्थ नैपकिन आदि की खरीद के लिए रु. 5,100 /- वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
सिलाई मशीन खरीदने के लिए महिलाओं की सहायता	1 साल की सक्रिय सदस्यता	महिला लाभार्थियों को बोर्ड द्वारा सिलाई मशीन प्रदान की जाती है। (एक बार)
वृद्धावस्था पेंशन लाभ	3 वर्ष की सदस्यता और उत्तराधिकारी के पहले दिन से उस महीने तक देय होगी जिसमें लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी करता है	60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को पेंशन की राशि रु. 3000/- प्रति माह दी जाती है।
विकलांगता पेंशन लाभ	1 साल की सक्रिय सदस्यता	कार्य स्थल पर किसी संक्रामक रोग या दुर्घटना के कारण श्रमिक के अपंग होने पर रु. 3000/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
मृत्यु सहायता का भुगतान	1 वर्ष की सक्रिय सदस्यता	पंजीकृत मृतक के नामित/आश्रितों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। (एक बार)
अंतिम संस्कार लाभ का भुगतान	सक्रिय सदस्यता	एक पंजीकृत मृत कार्यकर्ता के अंतिम संस्कार के लिए 15000/- रुपये की राशि नामित/आश्रितों को दिया जाएगा। (एक बार)
घातक बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता	1 वर्ष की सक्रिय सदस्यता	पंजीकृत कर्मचारी को कैंसर, टीबी, एड्स आदि घातक बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी नियमानुसार एक लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
विवाह के लिए वित्तीय सहायता	1 वर्ष की सक्रिय सदस्यता	इस योजना के तहत, शादी से 3 दिन पहले 50000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता मजदूर की तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है।
साइकिल की खरीद के लिए महिला कार्यकर्ता को सहायता	1 वर्ष की सक्रिय सदस्यता	साइकिल खरीदने पर महिला कर्मचारी को 3000/- रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना		परिभाषा: यह योजना बालिकाओं का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है कि गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवाओं / निराश्रित महिलाओं की बेटियों, खेल महिलाओं और अनाथ बालिकाओं की शादी शालीनता से हो।
वित्तीय सहायता	इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता निम्नवत है:- 1. अनुसूचित जाति श्रेणी + बीपीएल 71,000 रुपये 2. अनुसूचित जाति बीपीएल नहीं 31,000 रुपये 3. पिछड़ा वर्ग को 31,000 रुपये 4. अनुसूचित जाति की विधवा महिला को 71,000 रुपये 5. 51,000 रुपये पिछड़े वर्ग की विधवा महिलाओं को 6. 51,000 रुपये अन्य श्रेणी की विधवा महिलाओं को 7. राज्य स्तर की महिला खिलाड़ी 31,000 रुपये नोट: युगल हरियाणा में समाज के सभी वर्गों से संबंधित हैं, जो इस योजना के उपरोक्त प्रावधानों में शामिल नहीं हैं, जो शादी की तारीख से 30 दिनों की अवधि में अपने विवाह को पंजीकृत करते हैं, उन्हें रुपये 1100/- और मिठाई का डिब्बा की शगुन दी जाएगी।	यहां आवेदन करें इस योजना के तहत केवल saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
	पात्रता	ज़रूरी दस्तावेज़ 1. वर/वधू की जन्मतिथि का प्रमाण। 2. जाति का प्रमाण 3. आवासीय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी। 4. आधार लिंक बैंक पासबुक की फोटो कॉपी। 5. दोनों पक्षों का राशन कार्ड 6. आवेदक आधार कार्ड 7. वर-वधू का आधार कार्ड 8. आय प्रमाण पत्र 9. वर और वधू की फोटो 10. विवाह कार्ड या कोई अन्य प्रमाण 11. विधवा के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र। 12. दुल्हन के अनाथ होने की स्थिति में पिता और माता का मृत्यु प्रमाण पत्र।

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता		परिभाषा: यह एक राज्य योजना है जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के हरियाणा अधिवास के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान भत्ता दिया जाता है।	
<u>वित्तीय सहायता</u>	इस योजना के तहत लाभार्थी को 2500-2700/- रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।	<u>यहां आवेदन करें</u> आवेदक को प्रत्येक पंचायत/बीडीपीओ कार्यालय में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर से इसे अपलोड करने के बाद संबंधित डीएसडब्ल्यूओ (जिला समाज कल्याण अधिकारी) कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।	
	<u>पात्रता</u>	वर्तमान में, कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए पात्र है यदि, 1. व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है; 2. व्यक्ति अधिवास और हरियाणा राज्य का निवासी है; और सभी स्रोतों से उसकी / उसके पति या पत्नी की आय 2,00,000/- प्रति वर्ष रुपये से अधिक नहीं है।	<u>ज़रूरी दस्तावेज़</u>
आयु प्रमाण			राशन कार्ड
बड़े पुत्र/पुत्री का आयु प्रमाण (42 वर्ष) (यदि आवेदक का आयु प्रमाण उपलब्ध नहीं है)			
		वोटर कार्ड	आधार कार्ड

हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना		परिभाषा: योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने स्वयं के संसाधनों के साथ खुद को बनाए रखने में असमर्थ हैं और उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत लाभार्थी को 2700/- रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।	यहां आवेदन करें किसी भी सीएससी के माध्यम से इसे अपलोड करने के बाद संबंधित बीडीपीओ / एमसी के कार्यालय में जमा कर सकता है।
पात्रता	आवेदन करने के लिए मानदंड नीचे दिए गए हैं: - 1. आयु 18 वर्ष और उससे अधिक। 2. हरियाणा का अधिवास और आवेदन जमा करने के समय पिछले 3 वर्षों से हरियाणा में निवास कर रहा है। 3. श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित सभी स्रोतों से स्व-आय अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4. 60-100% तक की विकलांगता 5. शारीरिक रूप से अक्षम होने का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन द्वारा जारी किया जाना चाहिए।	ज़रूरी दस्तावेज़
		राशन पत्रिका वोटर कार्ड
		शारीरिक रूप से विकलांगता प्रमाण पत्र
		आधार कार्ड
		पासपोर्ट आकार के फोटो

निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (एफएडीसी)		परिभाषा: यह एक राज्य योजना है जिसके तहत 21 वर्ष तक के बच्चों के माता-पिता/अभिभावक, जो अपने माता-पिता की मृत्यु या लंबी कारावास, लंबी बीमारी या मानसिक मंदता के कारण उचित देखभाल से वंचित हैं, को वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है। योजना में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार एक परिवार के दो बच्चों के लिए ही अधिकतम होना चाहिए।
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत, एक परिवार के दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा प्रति माह 1600 रुपये की राशि (01-11-2017 से प्रभावी)।	यहां आवेदन करें आवेदक को प्रत्येक पंचायत/बीडीपीओ कार्यालय में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर से इसे अपलोड करने के बाद संबंधित डीएसडब्ल्यूओ (जिला समाज कल्याण अधिकारी) कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
पात्रता	1. इक्कीस वर्ष से कम आयु का बच्चा जो मृत्यु के कारण माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित है, पिछले 2 वर्षों से अपने पिता के घर से लगातार अनुपस्थित है, या पिता / माता को कम से कम एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है या माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता। 2. माता-पिता/अभिभावकों की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए; 3. एक परिवार के केवल दो बच्चों तक लाभ।	ज़रूरी दस्तावेज़
		बाल आयु प्रमाण
		आवासीय प्रमाण राशन कार्ड/वोटर कार्ड
		आधार कार्ड (वैकल्पिक)
		पासबुक की फोटोकॉपी के साथ आवेदक के बचत बैंक खाते का विवरण। आवेदक के पास फैमिली आईडी होना चाहिए

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना		परिभाषा: इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को घर की मरम्मत के लिए अनुदान प्रदान करना है, जिनके घर को हरियाणा राज्य में मरम्मत की आवश्यकता है।
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत रु. 80,000/- घर की मरम्मत के लिए प्रदान किया जाता है।	यहां आवेदन करें आवेदक को इस योजना के तहत saralharyana.gov.in पर एक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
पात्रता	इस योजना के तहत, नीचे उल्लिखित मानदंड हैं: 1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। 3. जिस मकान की मरम्मत की जानी है वह आवेदक के नाम पर होना चाहिए और उसे बने कम से कम दस वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए। 4. आवेदक को पिछले 10 वर्षों से हरियाणा के किसी भी विभाग से मरम्मत और निर्माण के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ हो।	ज़रूरी दस्तावेज़
		आधार कार्ड
		बीपीएल प्रमाणपत्र
		राशन पत्रिका
		घर की मरम्मत की हाल की तस्वीर आवेदक के पास फैमिली आईडी होना चाहिए



राज्य: हिमाचल प्रदेश

बेटी है अनमोल योजना		परिभाषा: योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों के लिए बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, और यह योजना आवश्यक वित्तीय सहायता और शिक्षा के साथ लड़की को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बीपीएल परिवार में 2 बालिकाओं तक सहायता प्रदान करेगी। बालिका के जन्म के समय सहायता दी जाएगी और फिर बालिका को वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।	
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत, हिमाचल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और दो लड़कियों तक के सभी परिवारों के लिए, लड़कियों के जन्म के समय उनके नाम पर 5100 रुपये जमा किए जाएंगे। इसके अलावा, ऐसी लड़कियों की शिक्षा में मदद करने के लिए, कक्षा एक से बारहवीं तक रुपये 300 से 1500 तक छात्रवृत्ति दी जाएगी।	यहां आवेदन करें इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए edistrict.hp.gov.in पर आवेदन करें	
पात्रता	इस योजना के तहत, नीचे उल्लिखित मानदंड हैं: 1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। 3. इस योजना के तहत एक परिवार की केवल दो बेटियां ही लाभ उठा सकती हैं।	ज़रूरी दस्तावेज़	बैंक पासबुक कॉपी
		पहचान प्रमाण, वास्तविक हिमाचल प्रदेश प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी	बीपीएल प्रमाण पत्र
		आवेदक के स्कूल के प्रधानाध्यापक का पत्र (यदि आवेदक अध्ययन कर रहा है)	

मदर टेरेसा आश्रय मातृ संबल योजना		परिभाषा: इस योजना के तहत प्रोत्साहित करने के लिए योजना का मुख्य उद्देश्य, जो महिलाएं अपने बच्चों (जैसे विधवा, निराश्रित) को पालने में असहाय हैं, उन्हें दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश सरकार दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा 3000 रुपये प्रदान करेगी।	यहां आवेदन करें इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए edistrict.hp.gov.in पर आवेदन करें	
पात्रता	1. आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। 2. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। 3. जिन महिलाओं के पति दो साल से अधिक समय से लापता हैं, वे भी लाभान्वित हो सकती हैं। 4. लाभ प्राप्त करने के लिए एक महिला की आय रुपये 35,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।	ज़रूरी दस्तावेज़	
		बोनाफाइड हिमाचल प्रमाण पत्र की कॉपी	लाभार्थी के चयन हेतु पंचायत संकल्प कॉपी
		बीपीएल प्रमाण पत्र	बच्चों की जन्म तिथि का प्रमाण
		वार्षिक पारिवारिक आय	माता का शपथ पत्र

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना		परिभाषा: योजना का मुख्य उद्देश्य निराश्रित लड़कियों के माता-पिता, अभिभावकों को उन लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है या पारिवारिक आय 35000/- रुपये से कम है।	
वित्तीय सहायता	जिन निराश्रित महिला या लड़की के पिता शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण अपने परिवार की आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, नारी सेवा सदन निवासी, तलाकशुदा महिलाएं और जिनके माता-पिता की आय रुपये 35,000 से अधिक नहीं है, को 40000/- रुपये की राशि को प्रदान की जाती है।	यहां आवेदन करें इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए edistrict.hp.gov.in पर आवेदन करें	
पात्रता	1. आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। 2. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। 3. विवाह के समय लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 4. अगर हिमाचल प्रदेश की लड़की हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर के लड़के से शादी कर रही है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।	ज़रूरी दस्तावेज़	उम्र का प्रमाण (लड़की और लड़का)
		लड़का और लड़की के बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र की प्रति	बीपीएल प्रमाण पत्र जैसे बीपीएल धारक का प्रमाण शादी की तारीख का सबूत
		वार्षिक पारिवारिक आय का प्रमाण	लड़की और माँ की स्थिति का दस्तावेज़

महिलाओं को स्वरोज़गार हेतु सहायता योजना		परिभाषा: हिमाचल प्रदेश में स्वरोज़गार के लिए महिलाओं के लिए सहायता योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य बेसहारा महिलाओं को सशक्त बनाना है। सरकार पात्र महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।	
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत रुपये 2500 की वित्तीय सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जो किसी तरह का रोज़गार जैसे चाय की दुकान, किराना दुकान, स्टेशनरी की दुकान, चाय बिस्कुट की दुकान, दर्जी की दुकान, ऊन, खादी, कढ़ाई की दुकान, पोल्ट्री फार्म और अन्य आय सृजन गतिविधियों करना चाहती है।		यहां आवेदन करें इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक महिला निकटतम जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकती है।
पात्रता	1. यह सहायता महिलाओं और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अपना स्वयं का व्यवसाय, लघु व्यवसाय, लघु उद्योग स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए स्वीकार्य होगी ताकि वे अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। 2. परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 35 रुपये से अधिक नहीं है। यह मनरेगा से आय को बाहर करेगा	ज़रूरी दस्तावेज़	अनुलग्नक I और II (जिला कल्याण कार्यालय में उपलब्ध होंगे)
		पासपोर्ट साइज फोटो	पहचान प्रमाण
		आवेदन फार्म	आय प्रमाण पत्र
		निवासी प्रमाण	बैंक पासबुक कॉपी

विधवा पुनर्विवाह योजना		परिभाषा: योजना का मुख्य उद्देश्य पुरुषों को विधवाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करके विधवाओं के पुनर्वास में मदद करना है, इसके लिए कुछ मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस योजना के तहत वास्तविक हिमाचली पुरुषों और महिलाओं को अनुदान दिया जाता है जिनकी आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक है।	
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत रुपये 25, 000 की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, जिसमें से विधवा को विवाह के समय 10 हजार रुपए का नकद अनुदान दिया जाता है और रु. 15,000 को कम से कम पांच साल के लिए संयुक्त रूप से सावधि जमा के रूप में रखा जाता है।	यहां आवेदन करें इस योजना के ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए edistrict.hp.gov.in पर आवेदन करें	
पात्रता	1. विधवा महिला हिमाचल प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। 2. महिला और पुरुष दोनों हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए। 3. महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष और पुरुष की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।	ज़रूरी दस्तावेज़	विधवा प्रमाण पत्र
		पुनर्विवाह की तिथि का प्रमाण और पहले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र	महिलाओं का हिमाचली बौनाफाइड प्रमाण पत्र
		आवेदक की पारिवारिक आय का प्रमाण	उस व्यक्ति के नाम और पते का प्रमाण जिससे विधवा पुनर्विवाह कर रही है
		पहली शादी की तारीख/वर्ष का प्रमाण	

माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना		परिभाषा: योजना के तहत, हिमाचल सरकार का मुख्य उद्देश्य बीपीएल महिलाओं और अनुसूचित जाति के परिवारों और अन्य सभी जिनकी वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं है, को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। एलपीजी गैस कनेक्शन खरीदने पर राज्य सरकार सब्सिडी देगी।	
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत, राज्य सरकार राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करेगी। एलपीजी गैस कनेक्शन की खरीद के लिए रुपये 1300 की प्रति लाभार्थी सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।	यहां आवेदन करें इस योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए महिला आवेदक नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जा सकती है।	
पात्रता	1. आवेदक महिला होनी चाहिए। 2. महिला हिमाचल प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। 3. आवेदक महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे परिवार (बीपीएल) से संबंधित हो। 4. महिलाएं अनुसूचित जाति की हो। 5. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। 6. वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक न हो।	ज़रूरी दस्तावेज़	पहचान प्रमाण
		आयु प्रमाण	आय प्रमाण पत्र
		जाति प्रमाण पत्र	आवेदन फार्म
		बीपीएल राशन कार्ड	निवासी प्रमाण
		बैंक पासबुक कॉपी	पासपोर्ट आकार की तस्वीर

वृद्धावस्था पेंशन		परिभाषा: इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।	
वित्तीय सहायता	वृद्धावस्था पेंशन रु. 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए रूपये 750/- प्रदान किया जा रहा है और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए आय मानदंड को छोड़कर 1300 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी।	यहां आवेदन करें इस योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट heachal.nic.in से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और इसे संबंधित पंचायत या तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को जमा करना होगा।	
पात्रता	1. आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 2. आवेदक की वार्षिक घरेलू आय 35,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. संबंधित ग्राम पंचायत से अनुशंसा। या 4. आवेदक की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 5. आवेदक से प्रमाण पत्र कि उसे कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही है। (इस मामले में आय प्रमाण पत्र और ग्राम सभा की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।)	ज़रूरी दस्तावेज़	
		आधार कार्ड	बैंक पासबुक की कॉपी
		आय प्रमाण पत्र	आवेदन फार्म
		बीपीएल राशन कार्ड	आयु प्रमाण पत्र
		परिवार रजिस्टर की कॉपी	

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य बोर्ड कल्याण योजनाएं		
योजना का नाम	पात्रता	वित्तीय सहायता
स्वास्थ्य बीमा कवर	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना : एक वर्ष में एक परिवार के 5 सदस्यों के उपचार (मूल देखभाल) के लिए 30,000/- रुपये।
मातृत्व/पितृत्व लाभ	2 महीने की सदस्यता	(i) महिला लाभार्थी को 10,000/- रु (ii) पुरुष लाभार्थी को 1,000/- रुपये। बशर्ते कि यह लाभ दो बार से अधिक के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।
वृद्धावस्था पेंशन लाभ	3 वर्ष की सदस्यता और उत्तराधिकारी के पहले दिन से उस महीने तक देय होगी जिसमें लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी करता है	पेंशन की राशि मात्र 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रतिमाह होगी। 5 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 20.00 रुपये की वृद्धि दी जाएगी।
विकलांगता पेंशन लाभ	2 महीने की सदस्यता	पेंशन की राशि रु.500.00 प्रति माह होगी। इस पेंशन के अतिरिक्त वह निम्नलिखित के रूप में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए पात्र होगा: i) रु. 10,000/- विकलांगता के मामले में 50% या उससे अधिक ii) अन्य मामलों में 5,000/- रु
अंतिम संस्कार सहायता का भुगतान	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	मृतक सदस्य के नामित/आश्रितों को रु.10, 000.00 (दस हजार रुपये) की राशि।
मृत्यु लाभ का भुगतान	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	दुर्घटना में मृत्यु होने पर मात्र एक लाख रुपये तथा प्राकृतिक मृत्यु पर 50,000/- रुपये की राशि।

लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	बोर्ड अधिकतम 30,000/- रुपये की वित्तीय सहायता केवल आंतरिक उपचार के लिए और रु 10,000/- निधि के लाभार्थी को ओपीडी के रूप में स्वीकृत कर सकता है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वीकार्य लाभ के अतिरिक्त है।
विवाह के लिए वित्तीय सहायता	2 महीने की सदस्यता	रु. 25,000/- लाभार्थी के स्व-विवाह और केवल 2 बच्चों तक प्रति बच्चे के लिए
साइकिल की खरीद के लिए महिला को सहायता	2 महीने की सदस्यता	महिला हितग्राहियों को बोर्ड द्वारा साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। (एक बार)

विधवा / एकल नारी पेंशन		परिभाषा: 18 वर्ष की आयु वर्ग की विधवाओं, तलाकशुदा, अलग, परित्यक्त या निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जिनके पास निर्वाह के पर्याप्त साधन नहीं हैं और जो गरीब, जरूरतमंद और कमजोर हैं।	
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत राज्य में विधवा / एकल नारी को 700/- रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती है।	यहां आवेदन करें इस योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट heachal.nic.in से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और इसे संबंधित पंचायत या तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को जमा करना होगा।	
पात्रता	1. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक की विधवा होनी चाहिए। 2. आवेदक की वार्षिक घरेलू आय 35,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. संबंधित ग्राम पंचायत से अनुशंसा।	जरूरी दस्तावेज़	
		आधार कार्ड	आयु प्रमाण पत्र
		आय प्रमाण पत्र	आवेदन फार्म
		बैंक पासबुक की कॉपी	
		परिवार रजिस्टर की कॉपी	

विकलांगता पेंशन योजना		परिभाषा: विकलांगता पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न लाभों/रियायतों का उपयोग करने के लिए विकलांग व्यक्ति को सशक्त बनाना है। विकलांग व्यक्तियों को इस तरह के लाभ/रियायतें जैसे मुफ्त यात्रा, छात्रवृत्ति, विवाह अनुदान, विकलांगता राहत भत्ता आदि।	
वित्तीय सहायता	विशेष योग्यता पेंशन योजना के तहत उन विशेष विकलांग व्यक्तियों को ₹700 प्रति माह का भत्ता दिया जा रहा है जिनके पास कम से कम 40 प्रतिशत विशेष योग्यता है और 70 प्रतिशत से अधिक विशेष विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी आय मानदंड के 1,250 / - रुपये प्रति माह प्रदान किया जा रहा है।	यहां आवेदन करें इस योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट heachal.nic.in से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और इसे संबंधित पंचायत या तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को जमा करना होगा।	
पात्रता	1. आवेदक 40% या अधिक विकलांग होना चाहिए। 2. आवेदक की वार्षिक घरेलू आय 35,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. संबंधित ग्राम पंचायत से अनुशंसा। (70% या अधिक विकलांगता या 40% या अधिक मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आय प्रमाण पत्र और ग्राम सभा की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।) इस शर्त के अधीन कि आवेदक सरकारी सेवा/अर्ध सरकारी सेवा/बोर्ड/निगम में नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार की पेंशन के कब्जे में नहीं होना चाहिए।	जरूरी दस्तावेज़	
		आधार कार्ड	परिवार रजिस्टर की कॉपी
		आय प्रमाण पत्र	बैंक पासबुक की कॉपी
		विकलांगता प्रमाण पत्र	
		पिछले 4 वर्षों का अधिवास प्रमाण	

राज्य: पंजाब

वृद्धावस्था पेंशन		परिभाषा: वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है।
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत सरकार 1500/- रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	यहां आवेदन करें नागरिक punjab.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं या निकटतम सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।
पात्रता	इस योजना के तहत, 1. 58 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को पेंशन दी जाती है। 2. कुल वार्षिक आय 60,000/- रुपये व्यापार या किराये या ब्याज आय सहित से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. राजस्व विभाग (पटवारी) की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक जिसके पास अधिकतम 2.5 एकड़ नेहरी/चाही भूमि या अधिकतम 5 एकड़ बरनी भूमि का स्वामित्व और 5 एकड़ भूमि जलभराव वाले क्षेत्र (पति पत्नी सहित) में है, वह भी पेंशन के लिए पात्र है।	ज़रूरी दस्तावेज़
		उम्र के संबंध में प्रमाण के रूप में जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी आधार कार्ड या वोटर कार्ड या मतदाता सूची या मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र।
		बैंक खाता पासबुक फोटोकॉपी
		निर्धारित प्रपत्रों को सेवा केंद्र में जमा करने से पहले सरपंच/काउंसलर और फिर पटवारी से प्रमाणित करने की आवश्यकता है।

विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता		परिभाषा: पंजाब सरकार ने राज्य में विधवाओं के कल्याण के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है ताकि राज्य की निराश्रित महिलाओं को बेहतर आजीविका प्रदान करके उन्हें मजबूत किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य पंजाब की पात्र विधवाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।	
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत सरकार 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने जा रही है।	यहां आवेदन करें नागरिक punjab.gov.in वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं या निकटतम सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।	
पात्रता	1. पंजाब के स्थायी निवासी। 2. आवेदक की आयु सीमा 58 वर्ष से कम होनी चाहिए। 3. कुल वार्षिक आय 60,000/- व्यापार या किराये या ब्याज आय सहित रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4. आवेदक को विधवा पेंशन योजना से संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के तहत किसी भी वित्तीय सहायता या पेंशन का लाभ नहीं उठाना चाहिए। नोट: अविवाहित महिलाओं के मामले में आवेदक की आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।		ज़रूरी दस्तावेज़
			आयु के प्रमाण के रूप में जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी आधार कार्ड या वोटर कार्ड या मतदाता सूची या मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र।
			पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
			बैंक खाता पासबुक फोटोकॉपी
			निर्धारित फॉर्म को सेवा केंद्र में जमा करने से पहले सरपंच/काउंसलर और फिर पटवारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता		परिभाषा: इस योजना के तहत, नेत्रहीन, विकलांग, बहरे और गुंगे और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं।
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत सरकार 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने जा रही है।	यहां आवेदन करें नागरिक punjab.gov.in वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं या निकटतम सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।
पात्रता	1. पंजाब के स्थायी निवासी। 2. विकलांग व्यक्ति, जिनकी विकलांगता 50% से कम है, वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। 3. मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, हालांकि, विकलांगता की परवाह किए बिना पात्र हैं। 4. आवेदक की मासिक आय रुपये 1000/- प्रति माह व्यक्ति के मामले में और रु. 1500/- प्रति माह युगल के मामले में से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक कमाई नहीं कर रहा है, तो उसके माता-पिता की आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे के मामले में 2500/- प्रति माह और रु. 3000/- प्रति माह दो या दो से अधिक बच्चों के मामले में।	ज़रूरी दस्तावेज़ आयु के प्रमाण के रूप में जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी आधार कार्ड या वोटर कार्ड या मतदाता सूची या मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र।
		विकलांगता प्रमाण पत्र
		बैंक खाता पासबुक फोटोकॉपी
		सेवा केंद्र में जमा करने से पहले निर्धारित फॉर्म को गांव के सरपंच / पार्षद और फिर पटवारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

आशीर्वाद योजना		परिभाषा: पंजाब राज्य सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण विभाग के तहत लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शगुन योजना शुरू की है। शगुन योजना को सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के रूप में भी नामित किया गया है।
वित्तीय सहायता	इस शगुन योजना के तहत राज्य सरकार बेटी की शादी के लिए 51000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।	यहां आवेदन करें नागरिक Punjab.gov.in वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं या निकटतम सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।
पात्रता	इस शगुन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित मानदंड होने चाहिए: 1. आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए। 2. आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित होना चाहिए 3. आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए। 4. परिवार की वार्षिक आय गांवों में रुपये 20,000 और शहरी क्षेत्रों में 27,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। (सरपंच/राजपत्रित अधिकारी/नंबरदार/वार्ड पार्षद/अध्यक्ष नगर कंसील/महापौर/विधायक द्वारा सत्यापित)	ज़रूरी दस्तावेज़
		आधार कार्ड
		बीपीएल प्रमाणपत्र
		वार्षिक पारिवारिक आय के लिए स्व-घोषणा/आय प्रमाण पत्र की प्रति
		जाति प्रमाण पत्र
		निवास प्रमाण
		बैंक खाता विवरण
		लड़की की जन्म तिथि का प्रमाण

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य बोर्ड कल्याण योजनाएं

योजना का नाम	पात्रता	वित्तीय सहायता
मातृत्व/पितृत्व लाभ	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए दो प्रसव तक मातृत्व लाभ योजना। इस योजना के तहत महिला निर्माण श्रमिकों को रु. 21000/- प्रति डिलीवरी दो डिलीवरी तक वित्तीय सहायता और पुरुष निर्माण श्रमिक को रु 5000/- प्रति प्रसव उसके पति/पत्नी के दो प्रसव तक वित्तीय सहायता।
निर्माण श्रमिकों के लिए साइकिल योजना	5 साल की सदस्यता	बोर्ड निर्माण श्रमिक के लिए एक निःशुल्क साइकिल प्रदान करता है जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड के साथ पंजीकृत किया है। निर्माण श्रमिकों को भी सदस्यता के प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक साइकिल मिलेगी।
शगुन योजना	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की दो बेटियों की शादी के लिए- रु. 51,000/- प्रत्येक बेटी की शादी पर दिया जाता है। यदि लड़की स्वयं पंजीकृत सदस्य है, तो वह इस योजना के तहत अपनी शादी के लिए भी शगुन का लाभ उठा सकती है।
वृद्धावस्था पेंशन लाभ	3 वर्ष की सदस्यता और उत्तराधिकारी के पहले दिन से उस महीने तक देय होगी जिसमें लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी करता है	पेंशन की राशि रु. 1500/- (रुपये एक हजार पांच सौ) मात्र प्रति माह (3 वर्ष के बाद)।
अंतिम संस्कार सहायता का भुगतान	अंतिम संस्कार सहायता का भुगतान	एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु के मामले में पंजाब राज्य में दाह संस्कार पर खर्च और अंतिम संस्कार करने के लिए रुपये 20,000/- की वित्तीय सहायता।
बलरी बाल उपहार योजना	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	रुपये 51,000/- की राशि एफडीआर के रूप में महिला बच्चे के जन्म पर (अधिकतम दो लड़कियों तक) दिया जाता है, जिसे बेटी की शादी के समय ही भुनाया जाएगा।
अवकाश यात्रा रियायत	1 साल की सक्रिय सदस्यता	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अवकाश यात्रा रियायत - भारत में धार्मिक/ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा या गृहनगर की यात्रा के लिए 2000/- रुपये (एल.टी.सी की राशि), दो साल में एक बार दी जाती है।
अनुग्रह राशि योजना	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	प्राकृतिक मृत्यु के मामले में रु. 3 लाख अनुग्रह राशि के रूप में दिया जाता है। एक पंजीकृत लाभार्थी की आंशिक विकलांगता की स्थिति में, इस योजना के तहत मुआवजा रु 4000/- प्रति एक प्रतिशत विकलांगता के लिए जो रु. 4 लाख है।
सामान्य सर्जरी योजना	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	लाभार्थी और उसके आश्रितों की सामान्य सर्जरी के लिए रुपये 50,000/- या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना। नोट: कोई भी लाभार्थी जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का इरादा रखता है, उसे पहले रुपये का लाभ समाप्त करना होगा। भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना (जो अब आयुष्मान भारत योजना है) के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के साथ उनकी सभी स्वास्थ्य बीमारियों के लिए 50,000 / -। तभी उसे इस योजना के तहत शेष लाभ मिल सकता है।

डेन्चर, चश्मा और श्रवण यंत्र योजना	व्यक्ति को BOCW का सक्रिय सदस्य होना चाहिए	लाभार्थी निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को डेन्चर के लिए 5,000/- रुपये, चश्मा 800/- रुपये और हियरिंग एड रु. 6,000/- के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
टूल किट योजना	सदस्यता के 3 साल	बोर्ड के कौशल उन्नयन या आरपीएल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उपकरण की खरीद के लिए 5000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता। एक निर्माण श्रमिक भी हर तीन साल की सदस्यता के बाद फिर से टूल किट योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

बेबे ननकी लाडली बेटी कल्याण योजना		परिभाषा: योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाना और लड़कियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही परिवारों को समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन पर बालिका के जन्म का बोझ न पड़े।
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत रु. 20,000/- एल.आई.सी. प्रति लड़की/प्रति लाभार्थी और एलआईसी ने 18 वर्ष की आयु तक विभिन्न चरणों में बच्चे के अभिभावक को 61,000/- रुपये का वितरण किया जायेगा।	यहां आवेदन करें आवेदक निर्धारित फॉर्म को एलआईसी कार्यालय में जमा कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं।
पात्रता	1. 1.1.2011 के बाद पैदा हुई लड़कियां। 2. वे लड़कियां जिनके माता-पिता पंजाब की स्थायी निवासी हैं। 3. प्रचुर मात्रा में लड़कियां 1.1.2011 के बाद मिलीं और पंजाब राज्य में अनाथालय और बाल गृहों में रह रही हैं। योजना के तहत लाभ पाने के लिए पहले जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या मायने नहीं रखेगी। यह लाभ नवजात लड़कों को नहीं दिया जाएगा। 4. यह लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 30,000/- रुपये से कम है और आय का प्रमाण खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पंजाब द्वारा जारी किया गया नीला कार्ड होगा। 5. यदि किसी कारणवश बालिका विद्यालय छोड़ देती है तो उस तिथि के बाद हितग्राहियों या परिवारों को कोई लाभ नहीं दिया जायेगा।	महत्वपूर्ण दस्तावेज
		आधार कार्ड
		बालिका जन्म प्रमाण पत्र
		हाल की तस्वीरें
		निवास प्रमाण



राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना		परिभाषा: नकद प्रोत्साहन के रूप में मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना ताकि महिला पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके और गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के बीच बेहतर स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को बढ़ावा मिले।	
वित्तीय सहायता	1. आंगनबाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) में गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण पर 1000/- रुपये की पहली किस्त। 2. 2000/- रुपये की दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 महीने बाद कम से कम एक प्रसव-विरोधी जांच (एएनसी) प्राप्त करने पर वितरित की जाती है। 3. 2000/- रुपये की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद पंजीकृत हो जाती है और बीसीजी, हेपेटाइटिस-बी, ओपीवी और डीपीटी के टीकाकरण का पहला चक्र प्राप्त करती है।	यहां आवेदन करें PMMVY योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए pmmvy-cas.nic.in पर पंजीकरण करें	
पात्रता	1. केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रूप से कार्यरत महिलाओं को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं। 2. सभी पात्र गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जिनका परिवार में पहले बच्चे के लिए 01 जनवरी, 2017 को या उसके बाद गर्भावस्था है। (गर्भावस्था की तारीख की गणना अंतिम मासिक धर्म (एलएमपी) तिथि के साथ की जाती है जैसा कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (एमसीपी) कार्ड में उल्लिखित है।)	महत्वपूर्ण दस्तावेज पहली किस्त के लिए विधिवत भरा हुआ आवेदन फॉर्म 1ए, फॉर्म 1बी (दूसरी किस्त के लिए) और फॉर्म 1सी (तीसरी किस्त)	
		एएनएम द्वारा प्रमाणित एमसीपी कार्ड	
		पहचान प्रमाण की कॉपी	
		बैंक/डाकघर खाता पासबुक की कॉपी	
		आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म 1 ए और फॉर्म 1 बी की एक कॉपी	
		तीसरी किस्त का दावा करने के लिए बच्चे के जन्म पंजीकरण की एक कॉपी	

सुकन्या समृद्धि योजना		परिभाषा: नकद प्रोत्साहन के रूप में मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना ताकि महिला पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके और गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के बीच बेहतर स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को बढ़ावा मिले।	
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बालिका की ओर से माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा बैंक खाता खोला जा सकता है। वे हर साल न्यूनतम 1200 रुपये जमा कर सकते हैं या 15 साल तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। परिपक्वता तक प्रति वर्ष 7-9% की ब्याज दर का लाभ मिलेगा	यहां आवेदन करें SSV योजना के तहत आवेदन करने के लिए, आवेदक के माता-पिता या अभिभावक पास के डाकघर या भाग लेने वाले सार्वजनिक और निजी बैंकों की नामित शाखाओं में जा सकते हैं।	
पात्रता	SSV योजना के तहत आवेदन करने के मानदंड नीचे दिए गए हैं: - 1. माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका की ओर से 10 वर्ष की आयु तक SSV खाता खोल सकते हैं। 2. बालिका निवासी भारतीय होनी चाहिए। एक परिवार में दो लड़कियों के लिए अधिकतम दो खाते खोले जा सकते हैं। 3. जुड़वां लड़कियों के मामले में तीसरा SSV खाता खोला जा सकता है।	आवश्यक दस्तावेज आवेदक माता-पिता या कानूनी अभिभावक की फोटो आईडी	बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
		आवेदक माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पता प्रमाण	
		माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड	

बालिका समृद्धि योजना		परिभाषा: बालिका समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य समाज में बाल मृत्यु दर और बाल विवाह के मामलों को खत्म करना है। इस योजना का उद्देश्य बालिका अनुपात को बढ़ावा देना है और राज्य में बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा देना है। यह योजना लड़की को आय-सृजन गतिविधियों को करने में सहायता करती है। यह योजना ग्रामीण/शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है।	
वित्तीय सहायता	बीएसवाई के तहत पात्र बालिकाएं निम्नलिखित लाभों की हकदार होंगी: 500/- रुपये की जन्म के बाद अनुदान राशि। वह स्कूली शिक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए निम्नानुसार वार्षिक छात्रवृत्ति की हकदार होगी। वार्षिक छात्रवृत्ति की वर्ग राशि I-III रु.300/- प्रति वर्ष प्रत्येक वर्ग के लिए, IV रु.500/- प्रति वर्ष, V रु.600/- प्रति वर्ष, VI-VII रु.700/- प्रति वर्ष प्रत्येक वर्ग के लिए, VIII रु.800 /- प्रति वर्ष, IX-X रु.1,000/- प्रति वर्ष प्रत्येक वर्ग के लिए	यहां आवेदन करें एक ही योजना के लिए आवेदन पत्र आंगनवाड़ी केंद्रों (ग्रामीण क्षेत्रों) और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (शहरी क्षेत्रों) के पास उपलब्ध हैं।	
पात्रता	बीएसवाई भारत के सभी जिलों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है। - ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के रूप में पहचाने जाने वाले परिवारों को लक्ष्य समूह के रूप में लिया जाएगा। - शहरी क्षेत्रों के निवासियों के लिए शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवार कचरा बीनने वाले, सब्जी-फल विक्रेता आदि के रूप में काम करते हैं। - लाभार्थी बालिका का जन्म 15 अगस्त 1997 के बाद होना चाहिए, परिवार बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए - इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार से केवल दो बालिकाओं को ही लाभ मिलता है।	महत्वपूर्ण दस्तावेज माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पता प्रमाण माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पहचान प्रमाण स्कूल प्रवेश दस्तावेज / अंतिम परीक्षा की अंकतालिका वार्षिक पारिवारिक आय का प्रमाण बीपीएल प्रमाण पत्र	बालिका का जन्म प्रमाण पत्र



वन स्टॉप सेंटर योजना

परिभाषा: योजना के उद्देश्य हैं:

- (i) एक ही छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करना।
- (ii) महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए एक छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं

1. आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवा: ओएससी हिंसा से प्रभावित महिलाओं को बचाव और रेफरल सेवाएं प्रदान करेगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), 108 सेवा, पुलिस (पीसीआर वैन) जैसे मौजूदा तंत्रों के साथ जुड़ाव विकसित किया जाएगा ताकि हिंसा से प्रभावित महिला को या तो स्थान से बचाया जा सके और निकटतम 4 चिकित्सा सुविधाओं (सार्वजनिक/निजी) या आश्रय गृह के लिए भेजा जा सके।

2. चिकित्सा सहायता: हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा सहायता/परीक्षा के लिए निकटतम अस्पताल में भेजा जाएगा जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा।

3. प्राथमिकी/एनसीआर/डीआईआर दर्ज करने में महिलाओं की सहायता: ओएससी प्राथमिकी/एनसीआर/डीआईआर दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा।

4. मनो-सामाजिक सहायता/परामर्श: मनो-सामाजिक परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाला एक कुशल परामर्शदाता कॉल पर उपलब्ध होगा। यह परामर्श प्रक्रिया महिलाओं को हिंसा को संबोधित करने या हिंसा के लिए न्याय पाने के लिए विश्वास और समर्थन देगी। परामर्शदाता परामर्श सेवाएं प्रदान करने में एक निर्धारित आचार संहिता, दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

5. कानूनी सहायता और परामर्श: हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच की सुविधा के लिए, ओएससी में पैनलबद्ध वकीलों या राष्ट्रीय/राज्य/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान किया जाएगा। पीड़ित महिला को उसकी पसंद का एक वकील प्रदान किया जाएगा यदि वह अपने मामले की सुनवाई में राज्य के अभियोजकों की सहायता करने के लिए उसे संलग्न करना चाहती है। यह वकील/अभियोजक की जिम्मेदारी होगी कि वह पीड़ित महिला के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल करें और उसे अदालती सुनवाई से छूट देने की वकालत करें।

यदि मुकदमा या जांच आईपीसी की धारा 376, 376ए-डी के तहत परिभाषित बलात्कार के अपराध से संबंधित है, तो मामले की सुनवाई करने वाले अभियोजकों का यह कर्तव्य होगा कि वे दो महीने की अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि जहां तक संभव हो जांच या विचारण को पूरा करें।

6. आश्रय: ओएससी पीड़ित महिलाओं को अस्थायी आश्रय सुविधा प्रदान करेगा। दीर्घकालीन आश्रय आवश्यकताओं के लिए स्वाधार गृह/शॉर्ट स्टे होम (प्रबंधित/सरकार/गैर सरकारी संगठन से संबद्ध) के साथ व्यवस्था की जाएगी। हिंसा से प्रभावित महिलाएं अपने बच्चों के साथ (सभी उम्र की लड़कियां और 8 साल तक के लड़के) अधिकतम 5 दिनों की अवधि के लिए ओएससी में अस्थायी आश्रय का लाभ उठा सकती हैं। अस्थायी आश्रय में किसी भी महिला की स्वीकार्यता केंद्र प्रशासक के विवेक पर होगी।

7. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा: तेज और परेशानी मुक्त पुलिस और अदालती कार्यवाही की सुविधा के लिए ओएससी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (स्काइप, गूगल कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से) प्रदान करेगा।

इस सुविधा के माध्यम से यदि पीड़ित महिला चाहे तो वह पुलिस/अदालतों के लिए ओएससी से ही ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके आपराधिक संहिता की धारा 161(3), 164(1) और 275(1) के तहत अपना बयान दर्ज करा सकती है। प्रक्रिया और धारा 231(1) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश xviii नियम 4 के अनुरूप। यह सुविधा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (घटना स्थल) के परामर्श के बाद ही प्रदान की जाएगी।

यहां आवेदन करें

हिंसा से प्रभावित महिला निम्नलिखित तरीके से ओएससी तक पहुंच सकती है:

1. खुद से या
2. किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, जिसमें कोई भी सार्वजनिक उत्साही नागरिक, लोक सेवक (भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के तहत परिभाषित), रिश्तेदार, दोस्त, गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवक, आदि शामिल हैं, या
3. पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया हेल्पलाइन के साथ एकीकृत महिला हेल्पलाइन के माध्यम से। जैसे ही शिकायत दर्ज की जाती है, एक पाठ संदेश (एसएमएस/इंटरनेट) आवश्यकतानुसार जिले/क्षेत्र के डीपीओ/पीओ/सीडीपीओ/एसएचओ/डीएम/एसपी/डीवाईएसपी/सीएमओ/पीओ को भेजा जाएगा।

पात्रता

ओएससी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति के बावजूद हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं का समर्थन करेगा। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए, किशोर के तहत स्थापित संस्थान और प्राधिकरण न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को ओएससी से जोड़ा जाएगा

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना		परिभाषा: यह ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए रसोई गैस जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना है, जो अन्यथा पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि का उपयोग कर रहे थे। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग हानिकारक था। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है।	
वित्तीय सहायता	PMUY कनेक्शन के लिए नकद सहायता भारत सरकार द्वारा रु1600 (कनेक्शन के लिए 14.2 किलो सिलेंडर / 5 किलो सिलेंडर के लिए 1150 रुपये) प्रदान की जाती है। नकद सहायता में शामिल हैं: 1. सिलेंडर की सुरक्षा जमा - रु 14.2 किलो सिलेंडर के लिए 1250/- रु और 5 किलो के सिलेंडर के लिए रु. 800/- 2. प्रेशर रेगुलेटर - रु. 150 3. एलपीजी नली - रु 100 4. घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड - रु. 25 5. निरीक्षण/स्थापना/प्रदर्शन शुल्क - रु. 75 इसके अतिरिक्त, सभी पीएमयूआई लाभार्थियों को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा उनके जमा मुक्त कनेक्शन के साथ पहली एलपीजी रिफिल और स्टोव (हॉटप्लेट) दोनों मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।	यहां आवेदन करें आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या नीचे दिए गए लिंक pmuy.gov.in/ujjwala2 के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध सबमिट करके आवेदन कर सकते हैं।	
	पात्रता एक गरीब परिवार से संबंधित वयस्क महिला और उसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उज्ज्वला 2.0 के तहत पात्र होगी। लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए: 1. SECC 2011 सूची के अनुसार पात्र 2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति, नदी द्वीपों में रहने वाले लोगों के लाभार्थी बनें। (लाभार्थी सहायक दस्तावेज जमा करेगा) 3. यदि वह उपरोक्त 2 श्रेणियों में नहीं आती है, तो वह 14-सूत्रीय घोषणा (निर्धारित प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करके गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।	महत्वपूर्ण दस्तावेज बैंक खाता संख्या और IFSC आवेदक का आधार कार्ड पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं) जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है/अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड। अनुलग्नक 1 (प्रवासी आवेदकों के लिए) के अनुसार पारिवारिक संरचना/स्व-घोषणा प्रमाणित करने वाला दस्तावेज	परिवार की स्थिति का समर्थन करने के लिए अनुपूरक केवाईसी

बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता और सहायता सेवाएं	परिभाषा: बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता और सहायता सेवाएं योजना जिसका उद्देश्य बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता और सहायता सेवाएं प्रदान करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित महिलाओं को न केवल वित्तीय सहायता बल्कि अन्य सहायता सेवाएं जैसे आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सहायता, पीड़ितों की जरूरतों के आधार पर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कानूनी सहायता प्राप्त हो।
वित्तीय सहायता	इस योजना के तहत बलात्कार पीड़ित महिलाओं को तीन किश्तों में 75,000/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट और शुरुआती जांच के बाद पहली किस्त दी जाती है। दूसरी किस्त सेवा सहायता के लिए दी जाती है। तीसरी किस्त गवाही पूरी होने के बाद या एक साल बाद दी जाती है। असाधारण परिस्थितियों में रुपये एक लाख तक बढ़ाया जा सकता है। यहां आवेदन करें इस योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा जो निकटतम पुलिस स्टेशन से प्राप्त किया जा सकता है और उसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सौंप सकता है।
पात्रता	- पीड़ित लड़की हिमाचल प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। - पीड़ित लड़की, परिवार का सदस्य या पीड़ित लड़की का कोई रिश्तेदार इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। - इस योजना के लिए आवेदन करने वाली पीड़ित लड़की, परिवार के सदस्य या पीड़ित लड़की के किसी रिश्तेदार के पास एक मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए जो यह साबित करे कि लड़की का बलात्कार हुआ है। - एफआईआर की कॉपी जिसे बलात्कार के तुरंत बाद दायर किया गया था। महत्वपूर्ण दस्तावेज निवासी प्रमाण आधार कार्ड बैंक पासबुक की कॉपी एफआईआर कॉपी चिकित्सा रिपोर्ट आवेदन पत्र F.I.R भरने की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा किया गया



Notes_____

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2022 Calendar

January 01

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

February 02

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

March 03

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

April 04

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

May 05

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

June 06

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

July 07

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

August 08

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

September 09

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

October 10

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

November 11

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

December 12

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

📍 F-5, First Floor
Kailash Colony
New Delhi - 110 448. India

☎ Tel.: +91 (11) 4064 0500

☎ Fax: +91 (11) 4164 1891

🌐 actionaidindia.org

📘 [actionaidindia](#)